

बिचनेसे पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिल्लई, दिनांक 30 5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 मई 2013—वैशाख 19, शक 1935

कृषि (मछली पालन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एक 6-12/36/यो/2012.—राज्य शासन एतद्वारा मछली पालन विभाग के अंतर्गत "छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड" का गठन निम्नानुसार करता है.

1. **बोर्ड के उद्देश्य :**— राज्य में मत्स्य विकास कार्यक्रम अपेक्षानुकूल संचालित हो, एवं प्रदेश के परम्परागत, वंशानुगत मछुआरों एवं अन्य वर्ग के मत्स्य पालकों के कल्याण एवं विकास संबंधी बिन्दुओं पर विचार करने, नई योजनाएं बनाने, पुराने कार्यक्रम में परिवर्तन करने, तथा मत्स्य पालन से संबंधित अन्य विषयों पर प्रासंगिक सुझाव देना.
2. **बोर्ड का संचालक मंडल :—**
 1. शासन द्वारा नामित व्यक्ति अध्यक्ष
 2. शासन द्वारा नामित व्यक्ति उपाध्यक्ष
 3. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (मछली पालन) विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्चतर का हो) सदस्य
 4. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्चतर का हो) सदस्य

5.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्चतर का हो)	सदस्य
6.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्चतर का हो)	सदस्य
7.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्चतर का हो)	सदस्य
8.	अशासकीय सदस्य (अधिकतम तीन)	शासन द्वारा नामांकित
9.	संचालक मत्स्योद्योग	सदस्य सचिव

टीप :— बोर्ड के संचालक मंडल में आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित विषय विशेषज्ञों को अशासकीय सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा.

3. बोर्ड के प्रबंध संचालक :— बोर्ड के प्रबंध संचालक राज्य शासन के द्वारा नामांकित अधिकारी होंगे.
4. बोर्ड का मुख्यालय :— बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में होगा.
5. बोर्ड का कार्यकाल :— भटुआ कल्याण बोर्ड की कार्य अवधि तीन वर्ष होगी. बोर्ड की तीन वर्ष की कार्य अवधि के पश्चात् स्वयंमेव समाप्त माने जायेंगे.
6. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को देय सुविधायें :— वित्त विभाग के प्रचलित नियम/निर्देशों के अनुसार देय होगी.
7. बोर्ड के कार्य :—
 1. प्रदेश के मछली पालन हेतु जलवायु क्षेत्र की परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए मत्स्योद्योग विकास एवं अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सुझाव देना.
 2. मछली पालन एवं उससे जुड़े कार्यों के विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नीतियों/कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव देना.
 3. मछली पालन एवं अन्य संबद्ध कार्यक्षेत्रों में आर्थिक निवेश बढ़ाने हेतु ऋण/साख की वर्तमान व्यवस्था एवं इसे सरल एवं किसानोन्मुखी बनाने के लिए सुझाव देना.
 4. सूखा एवं अल्प वर्षा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मछली पालन की गतिविधियों एवं संरक्षण के लिए उपाय सुझाना तथा ऐसे क्षेत्रों में लागू विभिन्न विकास मूलक कार्यक्रमों को समेकित कर, ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन द्वारा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में सुझाव देना.
 5. बाढ़ एवं जलाप्लावन से निरंतर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की समस्या निवारण हेतु सुझाव देना.
 6. मछली जल्द ही खराब होने वाला खाद्य पदार्थ हैं, अतः उसके भंडारण एवं मूल्य संबंधन तथा वर्तमान विपणन व्यवस्था एवं विपणन अधोसंरचना के विस्तार आदि का विकासोन्मुखी (प्रोप्रेसिव) बनाने के लिए सुझाव/अनुशंसाएं देना.
 7. मछली पालन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देने एवं ज्ञान, कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकीय एवं विपणन सशक्तीकरण के लिए उपायों की अनुशंसाएं देना.
 8. शिक्षित युवाओं को आकर्षित करने के लिए उपाय सुझाना, तालाबों/जलाशयों में प्रतिभूरक आहार को प्रोत्साहन और मिश्रित खेती (Mixed Farming) अंतर्गत मछली पालन को बढ़ावा देने एवं मत्स्य पालन के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु पद्धतियों की अनुशंसाएं देना.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक १ मई 2013

380 (1)

9. स्थानीय समस्याओं/आवश्यकताओं के निराकरण हेतु अनुसंधान प्रारंभ करने कृषकों, प्रसार कार्यकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों के मध्य बेहतर सामन्जस्य के उपाय/व्यवस्था सुझाना.
 10. मछली पालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों में आदानों की आवश्यकता आपूर्ति व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सुझाव देना.
 11. ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुदृढीकरण में मछली पालन की उपयोगिता एवं आने वाली समस्या के निराकरण के उपाय सुझाना.
 12. मछली पालन के अंतर्गत आवश्यक आदान वितरण एवं "कृषि मत्स्य स्नातकों" के उपयोग पर सुझाव देना.
 13. वैशानुगत रूप से लगे मछली पालकों का एवं उनके भव्यविकास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देना.
 14. मछली कल्याण बोर्ड स्थापना से या अन्य प्रकार से किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनके निराकरण हेतु सुझाव देना.
 15. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करना.
8. **बोर्ड के अधीन अमला :-** राज्य शासन द्वारा स्वीकृत पदों के अनुसार अमला रहेगा.
9. **बजट, वित्त, लेखा एवं आडिट :-**
1. राज्य शासन द्वारा बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओं एवं बोर्ड के संचालन हेतु अनुदान उपलब्ध कराया.
 2. बोर्ड द्वारा किसी सामान्य या विशेष अधिकार के तहत बोर्ड के समस्त कार्यकलापों का सुधार रूप से निर्वहन के लिये जहाँ भी ठीक समझे अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त कर सकेगा.
 3. बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित प्रारूप एवं समयबद्धि में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अपना बजट संभावित प्राप्ति एवं व्ययों का आंकलन दर्शाते हुए तैयार करेगा तथा स्वीकृति के लिये राज्य शासन की ओर अर्पित करेगा.
 4. बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित समयबद्धि एवं निर्धारित स्वरूप के अनुसार अपना वार्षिक प्रतिवेदन विगत वर्ष के गतिविधियों का पूर्ण विवरण देते हुए तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति शासन को प्रस्तुत करेगा.
 5. बोर्ड की प्रकृति विकासात्मक होगी तथा दृष्टिग्राहियों के विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिये होगी.
 6. बोर्ड प्रतिवर्ष उपयुक्त ढंग से अपने निवृत्तियों का संधारण करेगा.
 7. बोर्ड प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा प्रपत्र तैयार करेगा तथा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण करवायेगा.
 8. प्रारंभिक अवस्था में बोर्ड के सफल संचालन हेतु वार्षिक धनराशि शासन द्वारा आकस्मिकता निधि से उपलब्ध करायी जायेगी.
10. **विविध :-**
1. राज्य शासन सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड को अधिक्रमित कर सकेगा.
 2. बोर्ड के सभी सदस्य बोर्ड के अधिक्रमित होने की स्थिति में अपने पद को छोड़ देंगे.
 3. बोर्ड के पुनर्गठन होने तक बोर्ड की सभी व नियंत्रित संपत्तियां राज्य शासन के अधीन रहेगी.
 4. राज्य शासन को बोर्ड/संचालक मंडल को भंग करने, उसमें नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को बदलने आदि का अधिकार होगा.

380 (2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 मई 2013

5. बोर्ड मत्स्य पालन का सर्वांगीण विकास, मत्स्य फालकों का विकास एवं आजीविका में सुधार, रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने हेतु सुझाव एवं अनुशंसा दे सकेगा.
 6. बोर्ड को फिशरिज का भवन लेने और कार्यालय उपकरणों में व्यय करने का अधिकार होगा.
 7. बोर्ड इस संकल्प के पारित होने/छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से संकल्प अनुसार कार्य प्रारंभ कर देगा.
 8. बोर्ड का पंजीयन उपरोक्तानुसार प्रायधानों को सम्मिलित करते हुए छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत अथवा जैसा संचालक मंडल चाहे अन्य अधिनियमों के अंतर्गत किया जा सकेगा.
11. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप सचिव.